न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 1320 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 पोकरराम 2 रामाराम पिसरान गोमाराम हनुमानराम पुत्र आदूराम 4 टुगीदेवी पत्नी आदूराम जाति जाट निवासी मेहरामपुरा पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।		1 जुगताराम पुत्र गोमाराम 2 ताजाराम 3 पोलाराम पिसरान तुलसाराम 4 नेनूदवी पत्नी तुलसाराम 5 रावताराम पुत्र हरखाराम 6 वगतूदेवी पत्नी हरखाराम जाति जाट निवासी मेहरामपुरा पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर 7 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :— 1 श्री हुकुमसिंह चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री लाखाराम साहू, वकील विप्रार्थी संख्या 02 व 04।

निर्णय

दिनांक 05.02.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। पक्षकारान हिन्दू होने से हिन्दू विधि से शासित है जिनकी वंश वृक्षावली निम्नानुसार है:—

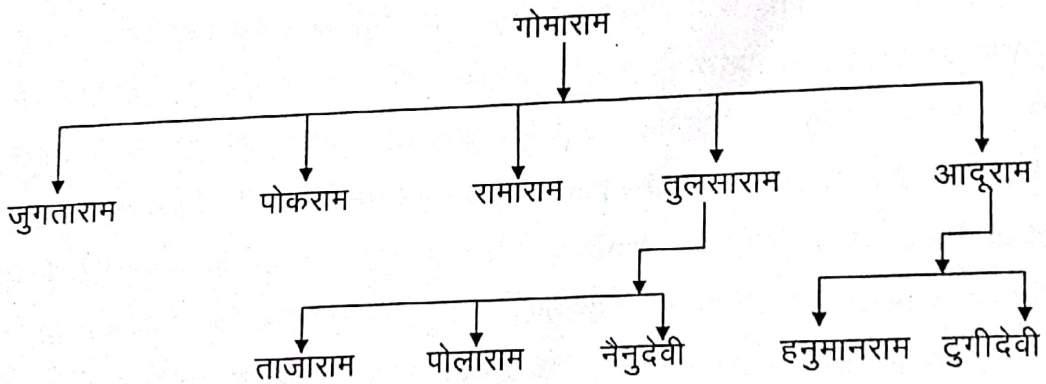

प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम मेहरामपुर पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 675 / 387 रकबा 69.07 बीघा, खसरा नम्बर 677 / 387 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 158.05 बीघा के आये हुए है जिसमे प्रार्थी संख्या 01 का 1 / 5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का 1 / 5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 03 व 04 का 1 / 5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 का 1 / 5 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 02 से 04 का 1 / 5 हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ग्राम मेहरामपुर के खसरा संख्या 611 रकबा 61.02 बीघा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 1 / 2 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 05 व 06 का 1 / 2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान के हिस्से अभिलेख में अंकित नही है, परन्तु

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

उनके द्वारा बाहमी तौर पर विभाजन कर अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है, उसी अनुसार कब्जा भी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमदा है। यदि उन्हे अपने कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम मेहरामपुर पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 675/387 रकबा 69.07 बीघा, खसरा नम्बर 677/387 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 158.05 बीघा तथा खसरा संख्या 611 रकबा 61.02 बीघा कुल रकबा 219.07 बीघा भूमि में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के वकील उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 07 के पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 04 द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह जवाब प्रस्तुत करना नही चाहते सीधे ही बहस करना चाहते है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की उपवर्णित भूमि में पक्षकारान के हिस्से अभिलेख में अंकित नही है, परन्तु उनके द्वारा बाहमी तौर पर विभाजन कर अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है, उसी अनुसार कब्जा भी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर आमदा है तथा अविभाजित भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। यदि प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल किया जाकर जबरन निर्माण कार्य करवाया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम मेहरामपुर पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 675/387 रकबा 69.07 बीघा, खसरा नम्बर 677/387 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 158.05 बीघा तथा खसरा संख्या 611 रकबा 61.02 बीघा कुल रकबा 219.07 बीघा भूमि में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 04 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि उनके द्वारा न तो भूमि के विक्रय का ईरादा है और न ही कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

है। प्रार्थी द्वारा मात्र आशंका के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जो सारहीन होने से खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है। वकील प्रार्थी के इस तर्क से भी हम सहमत है कि पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में हिस्से खुले हुए नही है। अभिलेख में विधिवत् बंटवाड़े का इन्द्राज नही होने से मौखिक रूप से हिस्सा अनुसार किये गये बंटवाड़े में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में अप्रार्थी संख्या 01 से 06 अनावश्यक हस्तक्षेप करते है तथा नया निर्माण कार्य करने में सफल होते है तथा भूमि का बेचान अजनबी को होता है और उनके द्वारा प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति जैसे तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है, लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में जारी की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेहरामपुर पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 518 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 41.12 बीघा, खसरा संख्या 675/387 रकबा 69.07 बीघा, खसरा नम्बर 677/387 रकबा 46.16 बीघा कुल रकबा 158.05 बीघा तथा खसरा संख्या 611 रकबा 61.02 बीघा कुल रकबा 219.07 बीघा भूमि में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करे, निर्माण कार्य नही करे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05.02.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner